

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 492/2015/टोंक

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, वृत्-प्रतिकरापवंचन, कोटा।

.....अपीलार्थी।

बनाम्
मैसर्स परफेक्ट ट्रेडिंग कम्पनी,
टोंक

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक।
श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से।

.....प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 07.06.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 46/13-14/वैट/टोंक में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 20.10.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, प्रतिकरापवंचन-कोटा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 14.09.2013 के जरिये कायम की गयी शास्ति रुपये 35,460/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान RJ-20/GA-6469 वाहन की चैकिंग की गई, जिसमें बीड़ी के पत्ते पाये गये। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा जांच के दौरान बताया कि माल का परिवहन झालावाड़ से करौली किया जाना बताया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा माल के संबंध में कागजात मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा 1. प्रारूप परिवहन अनुज्ञा-1, पृष्ठ-48, पुस्तिका-52, 2. बीड़ी पत्तों के बोरों का विवरण जो प्रत्यर्थी कम्पनी के नाम है। 3. कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़ का पत्र क्रमांक 6701 दिनांक 22.05.2013 प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा पाया गया कि माल परिवहन के प्रस्तुत दस्तावेज अपूर्ण है। माल परिवहन के समर्थन में कोई बिल्टी, चालान, डिस्पेच, इनवायॅस संलग्न नहीं है, जो कि अधिनियम की धारा 76(2)(b) का उल्लंघन है जिसके तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में फर्म के प्रोपराईटर द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया तथा स्वयं को माल का मालिक होने का कथन किया। सशक्त अधिकारी द्वारा धारा 76(2)(b) का उल्लंघन माना क्योंकि व्यवहारी द्वारा माल परिवहन के साथ जानकारी के अभाव में चालान नहीं

लगातार.....2

लगाया गया था। जिस कारण सशक्त अधिकारी द्वारा माल कीमतन 1,18,200/- पर 30 प्रतिशत की दर से धारा 76(6) के तहत 35,460/- रुपये शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा बीडी पत्ता को वन विभाग झालावाड़ के अधिकारी से क्रय किया गया। माल को स्टोर के लिये झालावाड़ से करौली के गौदाम में स्टोर किये जाने का कथन किया।


यह गौदाम किराये पर दिया हुआ बताया गया। उन्होंने निवेदन किया कि उक्त माल ट्रांसफर के दौरान संलग्न दस्तावेजों में में ट्रांसपोर्ट परमिट तथा व्यवहारी द्वारा माल का विवरण दस्तावेज वन विभाग, झालावाड़ के अधिकारी द्वारा जारी पत्र क्रमांक 6701 दिनांक 22.05.2013 आदि वक्त चैकिंग के दौरान प्रस्तुत किये जाने पर भी सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण किया गया। उपर्युक्त आधार पर व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रख विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड का ससम्मान अध्ययन किया गया। वक्त चैकिंग वाहन के साथ समस्त दस्तावेज पाये गये, व्यवहारी द्वारा बीडी पत्ता परिवहन द्वारा वाहन में परिवहनित माल के दस्तावेज अनुज्ञा पत्र के साथ बीडी पत्तों के बोरों का विवरण जो व्यवहारी का है कार्यालय वन संरक्षक, झालावाड़ का होने के बावजूद भी शास्ति का आरोपण किया गया है। विभाग के अनुज्ञा पत्र परिवहनित माल के साथ था। अनुज्ञा पत्र में माल की मात्रा, भार सहित अंकित है साथ ही वक्त चैकिंग अनुज्ञा पत्र में वैद्यता कायम थी व वाहन संख्या भी मेल खाती है। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत अनुज्ञा पत्र में माल प्रेषक, कम्पनी का नाम, वाहन संख्या, दिनांक अंकित है, साथ ही माल के पैकेज संख्या व वजन अंकित है। जांच अधिकारी/सशक्त अधिकारी ने किसी प्रकार से जांच कर प्रस्तुत दस्तावेजों को असत्य एवं बोगस नहीं ठहराया है।

उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में जांच के दौरान परिवहित माल के साथ संलग्न अनुज्ञा पत्र में यह समस्त जानकारी अंकित हो तो शास्ति आरोपण विधिनुकूल नहीं माना जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

6. उपरोक्तानुसार अवर अधिकारी का आदेश यथावत रखते हुए अपीलार्थी-राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल मालवीय)
सदस्य